



दिल्ली सरकार  
प्रमुख अभियंता, लो०नि०वि०,  
12वां तल, बहु-मंजिला भवन, इंद्रप्रस्थसंपदा, नईदिल्ली: 110002  
☎ 23490260, 23724560, फ़ैक्स 23319021  
Toll Free Complaint No. 1800 11 0093  
वेबसाइट: <http://pwd.delhigovt.nic.in>  
ई-मेल: [pwdhqdelhi@gmail.com](mailto:pwdhqdelhi@gmail.com)/[dppwdhqdelhi@gmail.com](mailto:dppwdhqdelhi@gmail.com)



सं०: प्रमुख अभि/अनु०/Meeting/2019/3175

दिनांक: 01.07.2019

### Meeting Notice

**विषय: Status of updation of PWD website.**

A meeting is scheduled to be held under the Chairmanship of E-in-C, PWD as per date and time detailed below in the Conference room of O/o E-in-C, PWD. All Pr. CEs, CEs & SEs PWD, GNCTD shall attend the meeting alongwith status report on updation of PWD website.

S. No.	Discussion Point	Date	Time
1	Updation of PWD website with respect to Works/Projects, Court and Arbitration Cases, Inventory, Redesigning of Roads, Maintenance street lights, WIMS complaints, VIP references, Budget and Accounts, etc.	05.07.2019	10:30 AM

यह पत्र प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग की स्वीकृति से जारी किया जाता है।

*(सुभाष चन्द्र)* 1/7/19

निदेशक (अनुवीक्षण)

सेवा में,

1. प्रधान मुख्य अभियंता (अनुरक्षण) लो.नि.वि., नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. प्रधान मुख्य अभियंता (परियोजना) लो.नि.वि., नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. मुख्य अभियंता(पूर्व), लो.नि.वि, नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. मुख्य अभियंता(उत्तर), लो.नि.वि, नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. मुख्य अभियंता(दक्षिण), लो.नि.वि, नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. मुख्य अभियंता(स्वास्थ्य) अनुरक्षण, लो.नि.वि, नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7. मुख्य अभियंता(परियोजनाए), लो.नि.वि, नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
8. मुख्य अभियंता(सेतू) लो.नि.वि, सरायंकाले खां, रिंगरोड, दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
9. मुख्य अभियंता (अन्य परियोजनाएं), लो.नि.वि, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
10. निदेशक (कार्य एवं कार्मिक), कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।
11. परियोजनाप्रबन्धक (सी.सी.टी.वी.), लो.नि.वि,को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
12. निदेशक (उद्यान), लोक निर्माण विभाग, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
13. सभी अधीक्षण अभियंता, लो.नि.वि,को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
14. प्रमुख अभियंता के निजी सहायक, लो.नि.वि।
15. एजेन्सी, मैसर्स कैलिबर वैबसोल प्रा०लि० को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही प्रेषित।